न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

संत श्री आशाराम बापू आश्रम ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थापक राममित्र केवट आयु 35 वर्ष पुत्र श्री घुक्कूप्रसाद केवट निवासी संत आशाराम आश्रम गौदरमऊ , गांधीनगर भोपाल

.... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. अश्वनी कुमार भंडारी पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार भंडारी , निवासी 308 इन्द्राशन काम्पलेक्स , जावरा कम्पाउण्ड नजदीक बी.जे.पी. कार्यालय , इंदौर म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त संत हिरदा रामनगर ,बैरागढ भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/ अ– 68/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1933–पीबीआर/2016 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–07–2016	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–5–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाया गया है कि शिकायतकर्ता की भूमिका का सूचना दाता की होती है, इसलिये अनावेदक कमांक 2 को शिकायतकर्ता के रूप में संयोजित किया जाता है । तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	